

दुर्घटनाकार वृद्धों को किया गया बैंक ऋण

1854. श्री सुकन्य देव नारायण यादव :
क्या बिना मंजी गृह बताने को छुपा करेने कि :

(क) मंजी 1, 1977 से जून, 1978 तक को अवधि के दौरान प्रत्येक दुर्घटनाकार वृद्ध को कितना बैंक ऋण दिया गया ;

(ख) प्रत्येक गृह पर विभिन्न करों की कब से कितना राशि बकाया है ; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

बिना मंजी (श्री एच० एम० क्लेन) :

(क) बैंकों में प्रचलित प्रक्रियाओं और प्रथाओं के अनुसार और साथ ही साथ भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंककारी कम्पनी (उत्तरों) का अर्जन और अंतरण अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राहकों से संबंधित अवका उनके मामलों के बारे में कोई सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है। इसलिये प्रत्येक एक अधिकारी घराने को बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में सूचना बताई नहीं जा सकती है।

(ख) और (ग) सभी बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा देय आयकर की बकाया राशियों के बारे में प्रश्न से कोई सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। प्रसन्नता उन मामलों के विषय में सूचना उपलब्ध है जिनमें प्रत्येक मामले में आयकर की सकल बकाया राशि 10 लाख रुपये से अधिक की है। 31 मार्च 1977 की स्थिति के अनुसार 63 ऐसे बड़े औद्योगिक घराने थे जिन पर आयकर की सकल बकाया राशि 26.17 करोड़ रुपये और शुद्ध बकाया राशि 11.99 करोड़ की। इन मामलों में से 31 मार्च 1978 की स्थिति के अनुसार इस समय 56 मामलों के बारे में सूचना उपलब्ध है। इन 56 मामलों

में 31 मार्च 1977 की स्थिति के अनुसार सकल बकाया राशि 20.89 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च 1978 की स्थिति के अनुसार 9.26 करोड़ रुपये रह गयी और शुद्ध बकाया राशि 5.60 करोड़ रुपये हो गयी।

प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कर की बकाया राशि के संग्रहण/वसूली के लिए संबंधित आयकर अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विभिन्न उपाय किये जाते हैं।

Income Tax Arrears

1855. SHRI D. B. PATIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that income-tax arrears on 31-12-77 amounted to the extent of Rs. 1008.76 crores;

(b) whether the Government have made any special efforts to recover the arrears; and

(c) if so, the nature of these efforts and what amount was recovered from the above mentioned arrears upto 30-6-78?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) According to presently available information, the gross and net arrears of income-tax (including corporation-tax) as on 31st December 1977 were as under:

Gross arrears	Rs. 1004.01 crores.
Net arrears	Rs. 720.62 crores.

(b) and (c). The Income-tax Act, 1961 provides for several steps for enforcing collection and recovery of tax arrears, such as levy of penalty, attachment of monies due to defaulter, distraint and sale of movable property, attachment and sale of immovable property, etc. Depending upon

the facts and circumstances of each case, suitable steps are taken by the Income-tax authorities, concerned for recovery of tax arrears.

Administratively, the Income-tax Officers have been asked to pay special attention to the work of collection/reduction of income-tax arrears. The progress of collection/reduction in bigger cases is also supervised by the senior officers in the Department.

As regards the amount recovered upto 30th June, 1978 from the above mentioned arrears, the information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कृषि और औद्योगिक उत्पादन व गिरावट

1856. श्री श्रील प्रकाश स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सेक्टर फार मीनिटरिंग इण्डियन इकोनॉमी के निदेशक डा० नरोत्तम माहद्वारा 17 जून 1978 को बम्बई में बिजनेस इकोनॉमिस्ट्स की बैठक में प्रस्तुत निबन्ध (वेपर) में बताये गये इन तथ्यों की ओर दिलाया गया है कि कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में 1978-79 में गिरावट घाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या सरकार ने निबन्ध (वेपर) में बताये गये तथ्यों का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हाँ तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (जी एच० एन० कटेल) :

(क) और (ख) डा० नरोत्तम माह के निबन्ध में यह मत प्रकट किया गया है कि 1978-79 में कृषि उत्पादन में उससे पूर्ववर्ती वर्ष में हुए अत्यधिक उत्पादन के उपरान्त कमी हो जाने की दो तिहाई संभावना

विद्यमान है। यहाँ तक औद्योगिक उत्पादन का संबंध है उनका विचार है कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की दर भी 1978-79 में 7 प्रतिशत के निर्धारित स्तर की दर से कम ही रहेगी। उनका अनुमान है कि यह वृद्धि की दर 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी;

(ग) सरकार डा० माह के द्वारा व्यक्त किए गए मत को नहीं मानती। जब तक मानसून का जो रसक रहा है उसके यह प्रकट होता है कि देश के अधिकांश भागों में वर्षा या तो सामान्य रही है या फिर सामान्य से अधिक हुई है। इसलिए माना है कि इस वर्ष कृषि उत्पादन में कमी नहीं होगी। औद्योगिक उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्तियाँ या उत्पादन वृद्धि की दर सरकार को आशा है कि उत्पादन में वृद्धि की दर ऊँचा रहेगी।

Names of Industrial Houses in Villages

1857. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the names of the industrial houses, which have adopted villages in the country at present;

(b) the names of villages in each State which have been adopted by each industrial house; and

(c) what are the development projects undertaken by each industrial house in each village?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) to (c). A statement giving the names of companies, States, rural areas and the broad features of the programmes of rural development, approved by the prescribed authority under section 35CC of the Income-tax Act, 1961 is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2506/78].